उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2

संख्या–क0नि0-2-437/ग्यारह–9(18)/2012–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(131)–2015

दिनांकः 30 मार्च, 2015

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार की राय है कि कर निर्धारण वर्ष 2014–15 में राज्य में विद्यमान असामान्य परिस्थितियों के कारण कर निर्धारण वर्ष 2011–12 के वादों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) के अधीन इसके लिये दी गयी समयसीमा के भीतर कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण पूर्ण करना कठिन होगा ;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (11) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल कर निर्धारण वर्ष 2011–12 के वादों जिसके लिए कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने की समयसीमा दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त होती है, के संबंध में कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण को पूरा करने हेतु 30 अप्रैल, 2015 तक समय सीमा बढ़ाते हैं।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव